

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 124/2021

कैलाश पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी ढाणी सोकड़ला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्डुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्डुनू।

- रेस्पोजेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम कैलाश अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 30/2021 निर्णय दिनांक 08.12.2021

उपस्थिति:-

- 1 श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ---- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता -----रेस्पोजेन्ट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 31.03.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.12.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कैलाश मु0नं0 30/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि खसरा नंबर 422 रकबा 1.68 हैक्टर गैर मु0 पहाड़ में मौके पर पक्का निर्माण अर्थात पुख्ता मकानात बने हुये हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत व जवाब पेश किये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित कर प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। प्रशासन गांवों के संग अभियान पुराने लम्बे समय से बसे हुये लोगों को पट्टे देने व नियमन करने के लिये था, जबकि अदालत मातहत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के



3-7
[Handwritten signature and stamp]

उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी उक्त प्रकरण में जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिये उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी से पूर्वज जब ग्राम छापोली आबाद हुआ था, तब से बसे हुये थे। ग्राम छापोली आजादी से पूर्व का बसा हुआ है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर आबाद रहे हैं। इसलिये अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राजस्थान रैण्ड रेवेन्युएक्ट, 1956, में लागू हुआ है जिसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करना घोर अन्याय की स्थिति है। अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण का मामला नहीं बनता है। अपीलार्थी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। अपीलार्थी के चारों ओर सघन आबादी बसी हुई है। अपीलार्थी के पास सन 1981-82 से विद्युत संबंध है। पानी के संबंध हैं। सघन आबादी में सरकार द्वारा सड़के डाली हुई है, विद्युत लाईन डाली हुई है। सघन आबादी को पानी सप्लाई करने के लिये टंकी भी बनी हुई है तथा ट्यूवेल बनाकर सघन आबादी में पानी के लिये लाईन डाली हुई हैं। अपीलार्थी 100 साल से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर आबाद हैं। अपीलार्थी के पास एक मात्र उक्त रिहायशी भूखण्ड है, अन्य कोई भू-खण्ड नहीं है। भूमि खसरा नंबर 420 व 422 बाबत ग्राम पंचायत ने सर्व सहमति से आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव भिजवा रखा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करना चाहिये था तथा सरकार का परिपत्र दिनांक 07.9.2017 का समस्त जिला कलेक्टर को भेजकर निर्देशित किया गया था कि जहां पुरानी आबादी बसी हुई हैं, वह भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी जाये। जब कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के विपरीत जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो काबिले निरस्त है। अपीलार्थी के विरुद्ध हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है तथा अपीलार्थी को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया गया है। प्रशासन गांवों के संग सहमति के निर्णय पारित किये जाते हैं। अदालत मातहत ने सम्पूर्ण रूप से गलत निर्णय पारित किया है, जो ग्राम छापोली को उजाड़ने या विरान करने जैसा निर्णय पारित किया है जो गलत है। कानून की मंशा के विपरीत है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया निर्णय काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 8.


5/11/17

12.2021 निरस्त किया जावे या इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे की अपीलार्थी को जवाब देही व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर पुनः गुणवगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है, बल्कि आजादी से पूर्व एवं एल आर0एक्ट कानून बनने से पूर्व अपने पूर्वजों के समय से करीब 100 साल पूर्व से उक्त भूमि पर पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद हैं। मौके पर सघन आबादी बसी हुई है तथा वर्ष 1980—81 से मकानों में बिजली पानी के संबंध स्थापित हैं तथा मौके पर पूर्ण रूप से करीब 100 साल पुरानी आबादी बसी हुई है। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0पहाड़ है जो राज्य सरकार के वर्तमान दिशा—निर्देशानुसार नियमन योग्य है। प्रशासन गांवों के संघ अभियान में पूर्व में भी तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि हेतु आवंटन कराने के प्रस्ताव जिला कलक्टर झुंझुनू को भिजवाये गये थे। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि आबादी हेतु आवंटित कराने के बजाय अपीलार्थी को बिना सूचना किये प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरा एक पक्षीय निर्णय कर अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो नसैर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलार्थी के पास पुराने कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य है और विवादित भूमि आवंटन योग्य भूमि है। अपीलार्थी के विरुद्ध हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है तथा अपीलार्थी को जवाब देही व साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया गया है। प्रशासन गांवों के संघ सहमति के निर्णय पारित किये जाते हैं। अदालत मातहत ने सम्पूर्ण रूप से गलत निर्णय पारित किया है, जो ग्राम छापोली को उजाड़ने या विरान करने जैसा निर्णय पारित किया है जो गलत है। कानून की मंशा के विपरीत है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया निर्णय काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 8.12.2021 निरस्त किया जावे।


5-11-21



दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर पक्के मकानात बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि अभी आवंटित नहीं हुई है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट दिनांक 05.3.2021 के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 422 गै.मु. पहाड़ में अपीलार्थी के मौके पर पक्का निर्माण अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 8.3.2021 प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने के बाद दिनांक 25.3.2021 को अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया है। उसके बाद पत्रावली तारीख पेशियों पर चलती रही, दिनांक 08.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत छापोली में रखी जाकर नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रकरण रखे जाने के संबंध में सूचना दी गई हो ऐसा पत्रावली पर कोई रिकार्ड नहीं है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान राजीनामा के आधार पर प्रकरण निस्तारित किये जाते हैं जिनमें भी पक्षकारान कैम्प में उपस्थित होने की सूचना दी जाती है। राज्य सरकार की मंशा एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तहसील क्षेत्र में जहां पुरानी आबादी बसी हुई है, उन अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर सूची तैयार कर, आवास गृहों का क्षेत्रफल एवं उनमें आवागमन का रास्ता आदि दर्शाते हुये ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाये जाने के निर्देश प्राप्त थे। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के विवादित भूमि पर सन 1980-81 के विद्युत कनेक्शन हैं एवं पानी के संबंध आदि हैं। विवादित भूमि पर सड़क, पानी, स्कूल एवं अन्य राजकीय सुविधा आबाद व्यक्तियों हेतु मौके पर स्थापित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय यानि लगभग 100 साल पुराना कब्जा है तथा विवादित भूमि की किस्म गै.मु.पहाड़

511-1



दर्ज रिकार्ड है जो आवंटन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा इस अपीलार्थी के पुराने कब्जे के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। राज्य सरकार के परिपत्रों एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि नियमन/आवंटित क्यों नहीं की जा सकती, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित करते हुये न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावलियों को प्रशासन गांवों के संग कैम्प में ले जाना और पक्षकारान की अनुपस्थिति में दिनांक 08.12.2021 को बेदखली आदेश पारित करना और उसके बाद दिनांक 9.12.2022 को ही आदेश की पालना हेतु लिखा जाना और दिनांक 17.12.2021 को ही हल्का पटवारी द्वारा पक्का अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की इमदाद मांगने हेतु फर्द बनाकर नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी को भेजना कतई विधिसम्मत नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि एक तरफ नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पुराने बने आवासगृहों को चिन्हित कर आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं और दूसरी ओर 100 साल पुराने आबाद अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये इसी शिविर में बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं, जिससे पीठासीन अधिकारी की न्याय करने की मंशा पर संदेह प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर प्रस्तुत विधुत कनेक्शन, फोटो आदि से अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा साबित है। विवादित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय दिनांक 8.12.2021 में अपीलार्थी के पुराने कब्जे के बारे में कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 उनवानी सरकार बनाम कैलाश मु0नं0 30/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपीलार्थी को सुना जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आवासगृह बनाकर

उपरोक्त
निर्णय
पर
अपील
अपीलांट
स्वीकार
की जाती है।

किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर सूची में खसरा नंबर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शों की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को भिजवाना सुनिश्चित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे० पी० गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे० पी० गौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू